राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 697वी बैठक दिनांक 27.12.2021 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 697वी बैठक दिनांक 27.12.2021 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

क्र.	प्रकरण क्र.	श्रेणी	सेक एवं सिया बैठक दिनांक
1.	8766/2021	1(a)	528वी बैठक दिनांक 23.11.2021
2.	8769/2021	1(a)	528वी बैठक दिनांक 23.11.2021
3.	8777/2021	1(a)	528वी बैठक दिनांक 23.11.2021
4.	8775/2021	1(a)	528वी बैठक दिनांक 23.11.2021
5.	8776/2021	1(a)	528वी बैठक दिनांक 23.11.2021
6.	8763/2021	1(a)	528वी बैठक दिनांक 23.11.2021
7.	8764/2021	1(a)	528वी बैठक दिनांक 23.11.2021
8.	8767/2021	1(a)	528वी बैठक दिनांक 23.11.2021
9.	8792/2021	1(a)	528वी बैठक दिनांक 23.11.2021
10.	8772/2021	1(a)	528वी बैठक दिनांक 23.11.2021
11.	8774/2021	1(a)	528वी बैठक दिनांक 23.11.2021
12.	7271/2021	1(a)	529वी बैठक दिनांक 24.11.2021
13.	8780/2021	8(a)	529वी बैठक दिनांक 24.11.2021
14.	8779/2021	8(a)	529वी बैठक दिनांक 24.11.2021
15.	8762/2021	1(a)	529वी बैठक दिनांक 24.11.2021
16.	8771/2021	1(a)	529वी बैठक दिनांक 24.11.2021
17.	8781/2021	1(a)	529वी बैठक दिनांक 24.11.2021
18.	6644/2021	1(a)	529वी बैठक दिनांक 24.11.2021
19.	7259/2021	1(a)	529वी बैठक दिनांक 24.11.2021
20.	5808/2021	1(a)	529वी बैठक दिनांक 24.11.2021

1. **प्रकरण क्र. 8766/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश कुमार मंशानी आत्मज श्री एच. राय मंशानी, निवासी –मकान नं. 14/53, किला रोड़, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन खदान, एरिया 3.114 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 23156 टन प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 129, 130, ग्राम बैजनाथ, तहसील हुजूर, जिला रीवा की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 528वी बैठक दिनांक 23.11.2021 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त शर्तो एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं SEAC की 528वीं बैठक दिनांक 23.11.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iii) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(iv) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(v) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(vi) Global warming potential and carbon foot print of the industrial activities should be studied and discussed in details during EIA study.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

2. प्रकरण क्र. 8769/2021 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वण्डर सीमेन्ट लि., संचालक श्री पी. पाटीदार, निवासी –17, ओल्ड फतेहपुरा, सेवा मंदिर, उदयपुर (राज.)–313004 द्वारा लाईमस्टोन खदान, एरिया 44.293 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता विस्तार 2,00,000 टन प्रतिवर्ष, सबग्रेड/स्क्रीन रिजेक्ट 15055 टन प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4/1, 4/4/2, 4/4/3, 4/4/4, 4/4/5, 4/5, 30, 37, 40/1, 41/1, 41/2, 42/1, 44, 45, 46, 47, 48, ग्राम कोसदाना, तहसील गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 528वी बैठक दिनांक 23.11.2021 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त शर्तो एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं SEAC की 528वीं बैठक दिनांक 23.11.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iii) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(iv) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(v) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(vi) Global warming potential and carbon foot print of the industrial activities should be studied and discussed in details during EIA study.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

3. प्रकरण क्र. 8777/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वजीत सिंह आत्मज श्री महीपाल सिंह बघेल, निवासी -एम.जी. रोड़, सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 3.750 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 50009 घन मीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 762, ग्राम अरनियाजागीर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 528वी बैठक दिनांक 23.11.2021 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त शर्तो एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं SEAC की 528वीं बैठक दिनांक 23.11.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the district survey report (DSR) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the industrial activities should be studied and discussed in details during EIA study.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

4. प्रकरण क्र. 8775/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री मुस्तफा खान आत्मज श्री हुसैन बक्श, निवासी लाड़गंज मोहल्ला, जिला मउरानीपुर (उ.प्र.)–284204 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 4.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1091/2, ग्राम सकूली, तहसील निवाड़ी, जिला निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 528वी बैठक दिनांक 23.11.2021 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

पर एवं SEAC की 528वीं बैठक दिनांक 23.11.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) तक की स्थापना की जाये।

IV. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

VIII. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

(श्रीमन शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूणा कुमार भट्ट)

xi. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

xii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 4800 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, सीसम, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, पपीता, नींबू, सीताफल, ईमली, कटहल आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

xiii. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

xiv. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

xv. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

xvi. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

xvii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

xviii. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

xix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

xx. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम सकूली के शासकीय प्राथमिक स्कूल में चबूतरा (6mx3m) का निर्माण एवं टीन शेड का निर्माण किया जावे।
- ग्राम सकूली में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को

(श्रीमन शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xxi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xxii. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxiii. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री मुस्तफा खान आत्मज श्री हुसैन बक्श, निवासी लाड़गंज मोहल्ला, जिला मउरानीपुर (उ.प्र.)–284204 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 4.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1091/2, ग्राम सकूली, तहसील निवाड़ी, जिला निवाड़ी की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के पत्र क्रं. 15696 दिनांक 26.12.2020 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 25.12.2030 तक वैध रहेगी।

5. प्रकरण क्र. 8776/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री बलवंत सिंह बुन्देला आत्मज श्री हरबल सिंह बुन्देला, निवासी –वार्ड नं. 5, वर्माडांग खास, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)–472001 द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 1.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 644/2, ग्राम देवखा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 528वी बैठक दिनांक 23.11.2021 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 697वी बैठक दिनांक 27.12.2021 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 528वीं बैठक दिनांक 23.11.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4) की स्थापना की जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर साइट का सीमांकन किया जायेगा। उक्त सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

VI. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

IX. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 1900 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, सीसम, आंवला, चिरोल, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, पपीता, नींबू, सीताफल, ईमली, कटहल आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

xi. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

xii. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

xiii. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

xiv. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

xv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

xvi. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

xvii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

xviii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम देवखा के शासकीय प्राथमिक स्कूल में बाउण्ड्रीवाल (Lenth 5m & Height 1.5m) एवं दो क्लास रूम का निर्माण व मरम्मत कार्य किया जावे।
- ग्राम देवखा में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xx. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxi. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री बलवंत सिंह बुन्देला आत्मज श्री हरबल सिंह बुन्देला, निवासी –वार्ड नं. 5, वर्माडांग खास, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)–472001 द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 1.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 644/2, ग्राम देवखा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), टीकमगढ़ के पत्र क्रं. 2247 दिनांक 17.09. 2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 16.09.2031 तक वैध रहेगी।

6. प्रकरण क्र. 8763/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री ऐलम सिंह दांगी आत्मज श्री बापूसिंह दांगी, निवासी –ग्राम खाईखेड़ा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.)–466651 द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10,483 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 584/1/2, ग्राम खाईखेड़ा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 528वी बैठक दिनांक 23.11.2021 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 528वीं बैठक दिनांक 23.11.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4) की स्थापना की जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी एवं माननीय एनजीटी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में मानव बसाहट से 100 मीटर एवं कच्ची सड़क से 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर साइट का सीमांकन किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में (नॉन ब्लास्टिंग के लिए दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए 200 मीटर की दूरी तय है)। उक्त सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

VI. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

IX. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2400 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, सीसम, आंवला, चिरोल, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, पपीता, नींबू, सीताफल, ईमली, कटहल आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

xi. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

xii. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

xiii. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

xiv. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

xv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

xvi. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

xvii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

xviii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम भट्टपुरा के शासकीय प्राथमिक स्कूल बिल्डिंग की पुताई एवं रंग रोगन का कार्य किया जावे एवं 5 बेन्च, 5 कुर्सी व 3 पंखे शासकीय प्राथमिक स्कूल में प्रदान किये जावें।
- ग्राम भट्टपुरा में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

(एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xx. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxi. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री ऐलम सिंह दांगी आत्मज श्री बापूसिंह दांगी, निवासी –ग्राम खाईखेड़ा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.)–466651 द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10,483 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 584/1/2, ग्राम खाईखेड़ा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), सीहोर के पत्र क्रं. 2097 दिनांक 23.08.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22.08.2031 तक वैध रहेगी।

7. प्रकरण क्र. 8764/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री सचिन डुंगरवाल आत्मज श्री श्रीपाल जैन, निवासी –519, रिंगरोड़, तहसील जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.)–457376 द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1155, ग्राम झलावा, तहसील जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 528वी बैठक दिनांक 23.11.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दिये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 528वीं बैठक दिनांक 23.11.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

SEAC द्वारा उक्त प्रकरण में 180 मीटर पर बिन्ड मिल परिलक्षित है जिसमें मापदण्ड अनुसार निर्धारित दूरी 300 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण प्रकरण को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 15. 12.2021 को ई–मेल के माध्यम से कार्यालय जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी मंदसौर के अनापत्ति

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

पत्र क्र. 232 दिनांक 15.12.2021 प्रस्तुत किया गया है, अतः उक्त प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 8767/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री छोटेलाल पाठक आत्मज श्री शम्भू प्रसाद पाठक, निवासी – सिमरिया, गुलाब सिंह, तहसील पवई, जिला पन्ना (म.प्र.)–488001 द्वारा फर्सी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 1.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 51, 52, 44, 50/1, 60, ग्राम टिकरिया, तहसील सिमरिया, जिला पन्ना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 528वी बैठक दिनांक 23.11.2021 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 528वीं बैठक दिनांक 23.11.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।

III. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

IV. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

vi. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

viii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

ix. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

x. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 1500 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, सीसम, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, हर्रा, अचार, कटहल आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

xi. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

xii. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

xiii. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

xiv. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

xv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

xvi. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

xvii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

xviii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

- ग्राम टिकरिया के शासकीय प्राथमिक स्कूल बिल्डिंग की पुताई एवं रंगरोगन का कार्य किया जावे।
- ग्राम टिकरिया में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xx. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxi. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री छोटेलाल पाठक आत्मज श्री शम्भू प्रसाद पाठक, निवासी – सिमरिया, गुलाब सिंह, तहसील पवई, जिला पन्ना (म.प्र.)–488001 द्वारा फर्सी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 1.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 51, 52, 44, 50/1, 60, ग्राम टिकरिया, तहसील सिमरिया, जिला पन्ना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्रं. 1137 दिनांक 06.09.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 05.09.2031 तक वैध रहेगी।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

9. **प्रकरण क्र. 8792/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री नईम खान आत्मज श्री रहमान खान, निवासी – ग्राम बिलकिसगंज, तहसील जावर, जिला सीहोर (म.प्र.)–450001 द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 9600 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 262/1, ग्राम भण्डेली, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 528वी बैठक दिनांक 23.11.2021 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 528वीं बैठक दिनांक 23.11.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी एवं माननीय एनजीटी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में मानव बसाहट से 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर साइट का सीमांकन किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में (नॉन ब्लास्टिंग के लिए दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए 200 मीटर की दूरी तय है)। उक्त सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

VI. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

IX. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2100 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, करोंदा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

XI. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

XII. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

XIII. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

XIV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

XVI. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम भण्डेली के शासकीय प्राथमिक स्कूल बिल्डिंग की पुताई एवं रंगरोगन का कार्य किया जावे।

- ग्राम भण्डेली में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xx. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxi. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री नईम खान आत्मज श्री रहमान खान, निवासी – ग्राम बिलकिसगंज, तहसील जावर, जिला सीहोर (म.प्र.)–450001 द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 9600 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 262/1, ग्राम भण्डेली, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्रं. 1391 दिनांक 20.01.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.01.2031 तक वैध रहेगी।

10. **प्रकरण क्र. 8772/2021 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रगति इण्डिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रेम बिहार कॉलोनी, प्रेम नगर, जिला सतना (म.प्र.)–481882 द्वारा पत्थर एवं मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 1.150 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरूम 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 182, 183, 184, 185, 187, ग्राम बरेण्डा रैयत, तहसील बजाग, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 697वी बैठक दिनांक 27.12.2021 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 528वी बैठक दिनांक 23.11.2021 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 528वीं बैठक दिनांक 23.11.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।

IV. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

VIII. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

XI. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षों में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2400 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, पपीता, नींबू, सीताफल, ईमली, कटहल आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड, खसरा नम्बर 182, 184 एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

XIII. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

XIV. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

XV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

XVI. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

- ग्राम बरेण्डा रैयत की आंगनबाडी में बोरिंग का निर्माण सोलर पम्प के साथ किया जाये एवं जल की आपूर्ति पाईपलाईन के साथ ओवरहैड टैंक भी स्थापित किया जाये।
- ग्राम बरेण्डा रैयत में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xxi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xxii. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxiii. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रगति इण्डिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रेम बिहार कॉलोनी, प्रेम नगर, जिला सतना (म.प्र.)–481882 द्वारा पत्थर एवं मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 1.150 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरूम 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 182, 183, 184, 185, 187, ग्राम बरेण्डा रैयत, तहसील बजाग, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), डिण्डौरी के पत्र क्रं. 386 दिनांक 30.09.2021 के अनुसार उक्त खदान को अस्थाई अनुज्ञा (14.02.2023 तक) की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14.02.2023 तक वैध रहेगी।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

11. प्रकरण क्र. 8774/2021 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रविशंकर जायसवाल, अर्जना 913, स्नेह नगर, जेडीए स्कीम नं. 11, जिला जबलपुर (म.प्र.)–481882 द्वारा पत्थर एवं मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 1.810 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 12680 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरूम 2600 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 634, 640, ग्राम आमाडोंगरी, तहसील बजाग, जिला डिण्डौरी (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 528वी बैठक दिनांक 23.11.2021 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 528वीं बैठक दिनांक 23.11.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।

IV. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से

(श्रीमन शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

viii. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

x. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

xi. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

xii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम वर्ष में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2400 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, पपीता, नींबू, सीताफल, ईमली, कटहल आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड, खसरा नम्बर 640 एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

xiii. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

xiv. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

xv. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

xvi. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

xvii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

xviii. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

xix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जायगा।

xx. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम आमाडोंगरी के शासकीय स्कूल में बच्चों के लिये झूला, फिसल पट्टी आदि स्थापित की जाये एवं शासकीय स्कूल बिल्डिंग की पुताई व रंगरोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम आमाडोंगरी में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xxi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी—एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xxii. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxiii. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रविशंकर जायसवाल, अर्जना 913, स्नेह नगर, जेडीए स्कीम नं. 11, जिला जबलपुर (म.प्र.)—481882 द्वारा पत्थर एवं मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 1.810 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 12680 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरूम 2600 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 634, 640, ग्राम आमाडोंगरी, तहसील बजाग, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), डिण्डौरी के पत्र क्रं. 422 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार उक्त खदान को अस्थाई अनुज्ञा (15.02.2023 तक) की

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 15.02.2023 तक वैध रहेगी।

12. प्रकरण क्र. 7271/2020 : परियोजना प्रस्तावक श्रीमती लता मिश्रा पत्नि स्व. श्री प्रभाकर मिश्रा, निवासी– सिविल लाईन रोड सिंधी धर्मशाला के सामने, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) द्वारा पायरोफ्लाईट/डायस्पोर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 8.640 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 21005 टन प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1,3, 10, ग्राम नंदनवारा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 529वी बैठक दिनांक 24.11.2021 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन संरक्षक, वनमण्डल (मामौन गेट) टीकमगढ़ के पत्र क्र. 35 दिनांक 03.01.2013 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं कार्यालय वनमण्डाधिकारी, क्षेत्रीय वनमण्डल टीकमगढ़ के पत्र क्र 3449 दिनंक 01.09.2010 अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – मध्यप्रदेश खनिज साधन विभाग द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्र. 3–348/86/12/2 दिनांक 27.12.1986 के माध्यम से प्रथम लीज 20 वर्ष (04.06.1987 से 03.06.2007) तक स्वीकृत की गई थी। उक्त लीज के नवीनीकरण हेतु कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 03.06.2037 तक का लीज अनुबंध निष्पादित किया गया है।
3. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.5 किलो लीटर प्रतिदिन है, जिसकी हैण्ड पम्प एवं खनन किये गये गड्डे में संचय वर्षा जल की जावेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य**– परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल **11600** पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया, पास के तालाब, शासकीय स्कूल बाउण्ड्री इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** – उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 13.08.2021 को शासकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर, शंकरगढ़, तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ में माननीय अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 529वीं बैठक दिनांक 24.11.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में बिना ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं करेगा एवं खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी एवं माननीय एनजीटी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में पक्की सड़क से 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर साइट का सीमांकन किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में (नॉन ब्लास्टिंग के लिए दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए 200 मीटर की दूरी तय है)। उक्त सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

VI. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

VII. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

IX. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

xi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

xii. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

xiii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 11600 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, पपीता, नींबू, सीताफल, ईमली, कटहल, चिरोल, जामुन, सु–बबूल आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

xiv. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

xv. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

xvi. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

xvii. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

xviii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

xix. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

xx. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

xxi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम शंकरगढ़ एवं नंदनवारा के आंगनबाड़ी केन्द्र में हैण्डपम्प स्थापित किये जायें।
- चीतल कुंडलेश्वर वन क्षेत्र के लिये 5 जल तश्तरी का निर्माण किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

- ग्राम नंदरवारा के शासकीय स्कूल बिल्डिंग की पुताई व रंगरोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम नंदनवारा में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xxii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xxiii. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxiv. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती लता मिश्रा पत्नि स्व. श्री प्रभाकर मिश्रा, निवासी– सिविल लाईन रोड, सिंधी धर्मशाला के सामने, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) द्वारा पायरोफ्लाईट/डायस्पोर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 8.640 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 21005 टन प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1,3, 10, ग्राम नंदनवारा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), टीकमगढ़ के आदेश क्रं. 2143 दिनांक 01.08.2021 के अनुसार उक्त खदान का दिनांक 03.06.2037 तक के लिये पूरक अनुबंध निष्पादित किया गया है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03.06.2037 तक वैध रहेगी।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

13. Case No 8780/2021 Prior Environment Clearance for Construction of 300 Bedded Sagar Multispecialty Hospital Project at Khasra no. 328/2/2/2, 330, 331, 332, 328/2/4, 330, 331, 332, 328/2/5, 330, 331, 328/330/331/2/3, at Village - Bawadia Kalan, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal (MP) Total Land Area - 5377.620 sq. m Total Proposed Built Up area- 25539.6 sq m by M/s Sagar Services and Resources Pvt. Ltd, Shri Siddharth Agrawal, Director, E-2/4, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP - 462016., Email: ssr.project@thesagar.in Ph- 755-2460107.

1. This is a case of Prior Environment Clearance for Construction of 300 Bedded Sagar Multispecialty Hospital Project at Village - Bawadia Kalan, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal (MP). It is a multispecialty hospital project with provision of green features like solar power plant (20 KW), MBBR technology based STP (220 KLD) and ETP of 40 KLD, MSW management, energy conservation measures, rain water harvesting system etc.
2. As per the T & CP Bhopal (vide letter dtd13.09.2021) the land area of the project is 5377.620 sq. m. The total built up area proposed by PP is 25539.6 sq.m. The project comes under 8 (a) category (B) of schedule of EIA Notification, 2006 because total construction is between 20,000 sq mt. & 1,50,000 sq mt. and plot area is less than 50 ha.
3. The case was discussed in SEAC meeting 529th dtd.24.11.21 and is recommended for grant of prior EC subject to specific conditions.
4. As per above recommendation today the case was discussed in detail and recorded that:
   i. Regarding land documents PP has submitted Khasra Panchsala 2021-22. As per the khasra panchsala.The landownership is the name of Sagar Services and Resources Pvt. Ltd, through Director, Shri Siddharth Agrawal.

   ii. **Summary of the project**:

Sr. No.	Item	Details
1.	Name & Location of the project	300 Beds Multispecialty Hospital 328/2/2/2,330,331,332,328/2/4,330,331,332,328/2/5,330,331,328/330/331/2/3, Hoshangabad Road, Bhopal (MP)
2.	Geological Location	Latitude : 23°10'16.85"N and Longitude : 77°27'40.61"E
3.	Site Feature	(a) East -60 m wide Hoshangabad Road (b) West - Shree Ram Colony (c) North- Vasundhara Marriage Garden (d) South- Shankar Sevani and Colony Road
	Railway Station	Rani Kamplapati-4.5 km
	Airport	Bhopal -21 km
	Topography	Plain
	Land use pattern	Residential & Commercial
	Total Plot Area	5377.620 sqmt
	Total Built up area	25539.6 sqmt
	Covered Area (F.A.R)	10668.430 sq mt

(श्रीमन् शुक्ला)　　(अनिल कुमार शर्मा)　　(अरूण कुमार भट्ट)

	Height of Buildings	27.4Mtr
4.	There are 6th floor constructed at the project site comprising	**Ground floor** - Emergency, OPD'S, OPD registration
		First floor- OPD'S (Consultation rooms), EMG/EEG, IVF dept., Endoscopy And dialysis
		Second floor- Baby delivery, PICU, NICU, ICU, Blood bank, Patient relative wait
		Third floor- CCU, Cath-Lab, ICU, OT, Patient relative wait, Pre& Post beds
		Fourth floor - General wards(5bedded), Single rooms, Double rooms
		5th & 6thfloor - Suite, Single Rooms & Double rooms
	Environment Impact and Its Mangement	
6	Water Requirement	Total 271 KLD
		Net fresh water requirement- 200KLD The Source of water supply is Municipal Corporation Bhopal. PP has obtained NOC (dtd. 27.09.20) from BMC for water supply.
7	Total Sewage Waste Water Generation & Effluent utilization	217 KLD (180 KLD+ 37KLD) The Sewage treatment will be done in the STP of capacity 220 KLD and ETP of 40 KLD capacity. Proponent will provide the STP to treat the discharge up to tertiary level and the ETP to treat Hospital effluent from O&T and Pathology. Total treated water available: 188 KLD from STP & ETP. The Treated water will be used for flushing (65 KLD), green area (20 KLD) HVAC & DG Cooling Tower) -80 KLD and remaining 23 KLD will be disposed of to the sewer line.
8	Rainwater harvesting	2 number of rainwater harvesting pits provided at the site for ground water recharging as per the CGWB norms.
9	Air pollution control	Impact- Emissions of SPM, SO_2, NO_2 and CO Running D.G. sets Regular monitoring of emissions and control measures will be taken to reduce the emission levels.
10	Solid Waste Generation	About 500kg/day solid waste will be generated in the project. The biodegradable waste will be converted into manure by mechanical composter and the non biodegradable waste generated will be handed over to the common municipal waste landfill site. PP has submitted letter dtd.27.09.21 issued by BMC for disposal of solid waste. The STP sludge & ETP sludge shall be used as manure for the development of green belt whereas the ETP sludge shall be disposed off at the common bio medical waste treatment facility Mandideep for incineration along with other biomedical waste of the hospital.

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

		The excavated soil of 5200 cum shall also be disposed off over 2 acres of land as given by BDA in Misrod Phase-I scheme.
11	Bio Medical Waste Generation	150 Kg per day BMW is collected as per colour codes and being given to M/s. Bhopal Incinerator Pvt. Ltd. for treatment and disposal.
12	Energy Requirements & Saving	The total power requirement will be 1763 KW (approx) which will be met by Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitran Company Ltd .DG set of 3X1010 KVA will be installed as stand-by arrangements. For energy conservation use of energy efficient devices like light sources such as true-lie fluorescent lamps& LED, use of insulation on roof top to reduce air-conditioning load, high efficiency CFL lighting proposed in all public areas and stand alone external solar photovoltaic lighting is also propsed. Total Energy Saving (Kwh / Year) Using Led Lamps And Solar Power Plant - 973309.81
	Area of parking	Parking's for 364 Nos over area of 4282.7Sq Mtrs inclusive of Basement 2 ,Basement 3& Ground floor.
	Proposed Green Area	The 750 sq. meters (14%) of total area shall be provided for green belt development.
	Fire Fighting Measures	• PP has proposed to provide External Wet riser system, Internal fire hydrants strategically located to cover maximum area, Fire pump, Sprinkler pump, Jockey pump, Sprinklers system, Two-way communication system, External yard hydrants, Portable fire extinguishers CO^2 type fire extinguishers 4.5 Kg capacity. • Dry Chemical Powder type fire extinguishers (Stored Pressure Type) 5 Kg capacity each • Fire bucket with stand (For sand / water) Fire Alarm system. etc. as per NBC 2005. PP has obtained fire fighting NOC dtd 08.06.21 from Municipal Corporation Bhopal.
	PROPOSED CER BUDGET AND ACTIVITY	**Rs 40 Lacs** shall be provided for execution of need base CER activities. • Adaptation of Tiger At Van Viahr Bhopal • Health awareness progarmme twice in year (Rs 50,000/-) for each village for one time Generation of employment for food court , maintenance staff etc. In 10 villages surrounding to Bhopal • Adaptation of school with provision of furniture (50 table and chairs in each class room) , Fans at each rooms, Library, Up gradation of toilets (4 for girls

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

		and 04 for boys), Drinking water facility (RO)- 04 numbers), sport ground, and boundary wall. School of village dist Bhopal (MP)
	EMP cost of the project	PP has proposed Rs. 290 lakh as capital cost and Rs. 38 lakh/year for recurring expenses in the operation phase.

The submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence it is decided to accept the recommendations of 529th SEAC meeting dtd. 24.11.21 with special conditions and accord Prior Environmental Clearance for proposed Construction of 300 Bedded Sagar Multispecialty Hospital Project at Khasra no. 328/2/2/2, 330, 331, 332, 328/2/4, 330, 331, 332, 328/2/5, 330, 331, 328/330/331/2/3, at Village - Bawadia Kalan, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal (MP) Total Land Area - 5377.620 sq. m Total Proposed Built Up area- 25539.6 sq m by M/s Sagar Services and Resources Pvt. Ltd, Shri Siddharth Agrawal, Director, E-2/4, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP – 462016 subject to following specific conditions imposed by SEIAA:-

1. The fresh water supply arrangement should be met through Municipal Corporation and there should no extraction of ground water.
2. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
3. **Disposal of waste water.**
   a. Sewage shall be treated in the STP based on MBBR Technology with tertiary treatment i.e. Ultra Filtration. The Treated effluent from STP shall be recycled /reused for flushing. DG cooling, Gardening and HVAC.
   b. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
   c. Zero discharge should be maintained for lab waste water generation to ETP.
4. **Solid & Bio-medical Waste Management:**
   a. Separate wet and dry bins must be provided at the ground level for facilitating segregation of waste.
   b. The solid waste generated should be properly collected and segregated. Wet garbage should be composted and dry inert solid waste should be disposed off to the approved sites for land filling after recovering recyclable material.
   c. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.
   d. Ensure linkage with Municipal Corporation for final disposal of MSW.

e. Bio-medical waste should not be mixed with MSW. ETP sludge shall be disposed at approved TSDF and MoU made in this regard shall be submitted to the MPSEIAA prior to the commencement.

f. Separate space should be provided for collection & storage Bio-medical waste.

g. Transportation and handling of Bio-medical Wastes shall be as per the Biomedical Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 including the section 129 to 137 of Central Motor Vehicle Rules, 1989.

5. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.

6. **For firefighting:-**

   a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site.

   b. As per MPBVR, 2012 rule 42 (3) PP should submit necessary drawings and details to the Authority (Nagar Nigam, Bhopal) incorporating all the fire fighting measures recommended in National Building Code part – IV point no. 3.4.6.1. The occupancy permit shall be issued by Nagar Nigam only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.

7. **For Rain Water Harvesting, and Ground water recharge:-**

   a. PP should ensure the rain water harvesting with 02 no. of recharging pits and these pits should be connected laterally to consume the surplus runoff. In addition, PP should provide recharging trenches. The base of the trenches should be Kachha with pebbles.

   b. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network as proposed. The budget should be included in EMP plan for storm water management.

8. PP should ensure to provide car parking total- 364 ECS inclusive of Basement 2, Basement 3 & Ground floor and explore the possibility to increase the parking space..

9. **For Energy Conservation PP should Ensure :-**

   a. Energy Saving by Using Led Lamps And Solar Power Plant as propsed.

   b. Use of LED lights in the common areas, landscape areas, signage's, entry gates and boundary compound walls etc.

   c. Solar lights provide for common amenities like Street lighting & Garden lighting.

   d. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures, and other energy efficient equipments.

10. **Green belt :-**

a. PP should ensure plantation in an area of 750 sq. meters (14%) of total plot area with 350 numbers of trees at site along the road, around open space area, parking area and other amenities. Trees of indigenous local varieties like Neem, Peepal, Kadam, Karanj, Kachnaar, Saltree, Gulmohar etc.should be planted.

b. The green belt of the adequate width and density preferably with local species along the periphery of the plot shall be raised so as to provide protection against particulates and noise.

11. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry"s OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.

14. Case No 8779/2021: Prior Environment Clearance for Construction of Proposed Commercial Complex "Janaki Raman Plaza" at Khasra No. 267/1/2, Zone - 5, Sanjay Gandhi Market, Dist. Jabalpur (MP) Total Plot Area 8000 sq. mt Total Built-up Area 28,853.26 Sqm. by M/s Janki Raman Developers, Shri Anupam Pandey, Partner, G-403, Rahul Apartment, Prem Nagar, Madan Mahal, Dist. Jabalpur, MP - 482002.

1. The commercial project "Janaki Raman Plaza" is proposed at Khasra No. 267/1/2, Zone - 5, Sanjay Gandhi Market, Dist. Jabalpur (MP).The proposed development is in accordance with master plan of Jabalpur. The proposed project is designed to have offices having facilities like shops, Restaurants; outdoor seating & offices .The project includes 832 numbers of shops.
2. As per the T & CP Jabalpur (vide letter dtd24.05.2019) the land area of the project is 5377.620 sq. m. The total built up area proposed by PP is 28,853.26 sq.m. The project comes under 8 (a) category (B) of schedule of EIA Notification, 2006 because total construction is between 20,000 sq mt. & 1,50,000 sq mt. and plot area is less than 50 ha.
3. The case was discussed in SEAC meeting 529th dtd.24.11.21 and is recommended for grant of prior EC subject to specific conditions.
4. As per above recommendation today the case was discussed in detail and recorded that:

i. Regarding land documents PP has submitted Registered certificate of the land.As per the land documents the landownership is the name of Shri Janki Raman Nyas and Developer is M/s Shri Janki Raman Developers.

ii. **Summary of the project**:

Sr. No.	Item	Details
1.	Name & Location of the project	"Janaki Raman Plaza" Survey No 267/1/2 Zone-5 Sanjay Gandhi Market, Jabalpur (MP)
2.	Geological Location	Latitude- 23.177838 N Longitude- 79.927547 E

		(c) North – Open Space (d) South – Oil Market
	Railway Station	Jabalpur -3.6km
	Airport	Jabalpur -13.4 km
	Topography	Plain
	Land use pattern	Residential & Commercial
	Total Land Area	Total Land Area = 8000 sq. mtrs.
	Total Built up Area	Total Proposed Built Up area (Slab Area Including all common passages, parking, podium etc.) = 28853.26 sq. mtrs.
	Covered Area (F.A.R)	2456.76 sq.m.
	Height of Buildings	24 Mtr
	Front MOS	12.00 mts
	Rear MOS	7.50 mts
	Width of main assess	18 mts
	ENVIRONMENT IMPACT ON PROJECT LAND & MANAGEMENT	
4.	There are 7^{th} floor constructed at the project site comprising	Basement 1 & 2, Lower Ground, Upper ground , First floor to Seventh Floor.
6	Water Requirement	Total- 54 KLD fresh water requirement-23KLD. The Source of water supply is Municipal Corporation Jabalpur. PP has obtained NOC vide letter dtd. 09.09.2021 from JMC for water supply.
7	Total Sewage Waste Water Generation & Effluent utilization	43 KLD. The Sewage treatment will be done in theSTP of capacity 50 KLD. Proponent will provide the STP to treat the discharge up to tertiary level with MBBR technology.The treated water will be used for Flushing (25KLD), green area (6 KLD) and remaining will be disposed of to the sewer line.
8	Rainwater harvesting	2 number of rainwater harvesting pits provided at the site for ground water recharging as per the CGWB norms.
9	Air pollution control	Impact- Emissions of SPM, SO_2, NO_2 and CO Running D.G. sets. • Regular monitoring of emissions and control measures will be taken to reduce the emission levels. • DG set will have appropriate staccck height (30m each)as per CPCB. • Proper ventilation will be provided to all parts of the building.
10	Solid waste generation and its disposal	About 500 Kg per day solid waste will be generated in the project. The biodegradable waste will be converted into manure by mechanical composter and the non biodegradable waste generated will be handed over to the common municipal waste landfill site. The excavated soil of 22400cum-Black soil & 33600cum-yellow soil mix with murram shall be disposed off over 1.8 acrs of owned low lying plot located at Baldev Bag Chauraha.
11	Energy Requirements & Saving	The total power requirement will be 2063 KVA.which will be met by Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitran Company Ltd .DG set of 1X160 KVA will be installed as stand-by arrangements. For energy conservation

		distribution system. • Use of energy efficient devices like light sources such as true-lite fluorescent lamps and LED. • Use of insulation on roof top to reduce air-conditioning load. • Use of capacitors at load centers to improve voltage and power factor to reduce distributional losses and also to avoid penalty by state electricity authority. • All high efficiency motors will be used in the commercial complex. • Variable Frequency Drives are proposed to be installed for hydro-pneumatic system for water supply and Secondary chilled water pumps for air-conditioning. Total Energy Saving (Kwh / Year) Using Led Lamps And Solar Power Plant - 1635073.88
12	Area of parking	Parking's for 380 Nos. as proposed by PP over area of 8605 sq mtrs (Basement: 3850 sq.m, Stilt : 3750 sq.m + Open 975 sq mtrs)
13	**Disaster/risk assessment And Management plan**	• PP has proposed to provide External Wet riser system, Internal fire hydrants strategically located to cover maximum area, Fire pump, Sprinkler pump, Jockey pump, Sprinklers system, Two-way communication system, External yard hydrants, Portable fire extinguishers Water Supply For Fire Fighting, Water Storage Requirement, Underground Water Storage Tank etc. • 30.10.21 from Municipal Corporation Jabalpur.
14	Green Belt Development Plan including no. of trees to be planted & its species	It is noted that some trees are existing in the project area and uprooted proposed during construction for which PP submitted that most of the tree are on the project boundary and will not be uprooted. However, 03 trees will be uprooted for which additional 30 trees will be planted. The 850 sq. meters (12%) of total area shall be provided for green belt development with 380 no. Additional Plantation of 30 tress shall be provided as existing 03 tress shall be uprooted
15	**PROPOSED CER BUDGET AND ACTIVITY (recorded in SEAC mtg.)**	**PP proposed Rs, 50 Lakh for following activities .** • Fund for medical/rescue facilitation for wild life animal at National Park At Kanha National Park.MP • Adaptation of school with provision of furniture (50 table and chairs in each 14 class room) Fans at each 14 rooms, and Prayer Hall, at Staff room Library, • Up gradation of toilets (4 for girls and 04 for boys), • Drinking water facility (RO)- 04 numbers), Sport Ground, Boundary Wall, Two additional Rooms Govt middle school at Gosalpur dist Jabalpur (MP) • Provision of essential facility at 02 Aganwadi with provision of • One additional Hall at each aganwadi • One dining space at each aganwadi • One drinking water facility with RO system at each aganwadi • One TV Sets for children at each aganwadi

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

		• Provision of essential furniture's , sitting facilitation, gaming facility at each aganwadi At Devri and Gosalpur dist Jabalpur (MP)
16	EMP Cost of the project	PP has proposed Rs. 154.0 lakh as capital cost and Rs. 45.0 lakh/year for recurring expenses in the operation phase.

The Authority after consideration examined all the requisite documents with status and data submissions made by the PP and it is decided to accept the recommendations of 529th SEAC meeting dtd.24.11.21 with special conditions and accord Prior Environmental Clearance for proposed "Construction of Commercial Complex "Janaki Raman Plaza" at Khasra No. 267/1/2, Zone - 5, Sanjay Gandhi Market, Dist. Jabalpur (MP) Total Plot Area 8000 sq. mt Total Built-up Area 28,853.26 Sqm., by M/s Janki Raman Developers, Shri Anupam Pandey, Partner, G-403, Rahul Apartment, Prem Nagar, Madan Mahal, Dist. Jabalpur, MP - 482002,subject to following specific conditions imposed by SEIAA:-

(1) The entire demand of water should be met through Municipal Corporation and there should be no extraction of ground water.

(2) The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.

(3) **Waste water management:-**

(a) PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of waste water.

(b) Project Proponent shall ensure regular operation and maintenance of the STP.

(c) Zero discharge should be maintained by recycling of waste water with using tertiary treatment with MBBR technology.

(d) The Project Proponent shall explore the possibilities of reusing the treated wastewater from nearby projects.

(4) **Solid Waste Management:-**

(a) Ensure linkage with Municipal Corporation for final disposal of MSW.

(b) Provide compactors for MSW.

(c) Separate wet and dry bins must be provided for facilitating segregation of waste.

(d) All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.

(e) A separate segregation area will be earmarked for the storage of waste. This waste should be disposed off through vendors for reuse or recycled.

(5) **Traffic management:-**

(a) PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.

(b) Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the proposed project site shall be avoided.

(c) No public space including the service road shall be used or blocked for the parking and the trained staff shall be deployed to guide the visitors for parking.

(6) **For firefighting:-**

(a) PP should ensure connectivity to the fire station from the project site and provide necessary fire fighting equipments for fire hazards.

(b) As per MPBVR, 2012 rule 42 (3) PP should submit necessary drawings and details to the Authority (Nagar Nigam, Jabalpur) incorporating all the fire fighting measures recommended in National Building Code Part – IV point no. 3.4.6.1. The occupancy permit shall be issued by Nagar Nigam only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.

(c) Underground fire water storage tanks of adequate capacity shall be provided as proposed. Adequate provision shall be made to ensure that water from the Fire Water Tank shall not be used for any other purpose.

(d) Dedicated power back up system shall be provided in the case of power failure & emergency of fire water pumps.

(e) Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises.

(7) **Parking:-**

(a) PP should ensure to provide car parking 380ECS (over area of 8605 sq mtrs (Basement: 3850 sq.m, Stilt : 3750 sq.m + Open 975 sq mtrs)

(b) The area earmarked for the parking shall be used for parking only. No other activity shall be permitted in this area.

(8) **Green belt :-**

(a) PP should ensure to develop 850 sq. meters (12%) of total area as Green belt area as proposed.

(b) PP should ensure two rows peripheral plantation (2 mt. high plants) all around the property area. Avenue plantation along the roads and formal garden area, trees of indigenous local varieties like Neem, Peepal, Kadam, Karanj, Kachnaar etc. should be planted.

(c) Additional Plantation of 30 tress should be planted as existing 03 tress shall be uprooted.

(d) PP should ensure to initiate plantation in the project site during construction.

(9) The project proponent shall comply with the provisions contained in the MoEF & CC OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. The project proponent shall adhere to the commitments made in the proposal for spending Rs. 50 lakhs on CER activities.

(10) All the activities must be completed with the completion of the project.

(अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

15. प्रकरण क्र. 8762/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री शिवाशीष बनर्जी आत्मज श्री संजय बनर्जी, निवासी– शास्त्री कॉलोनी, व्यंकट वार्ड, जिला कटनी (म.प्र.)–483501 द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 8458 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1189 पार्ट, ग्राम करहिया, तहसील रीठी, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 529वी बैठक दिनांक 24.11.2021 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 529वीं बैठक दिनांक 24.11.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी एवं माननीय एनजीटी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में **पक्की सड़क** से 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर साइट का सीमांकन किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में (नॉन ब्लास्टिंग के लिए दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए 200 मीटर की दूरी तय है)। उक्त सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलाशय के उच्च बाढ़ स्तर (High Flood Level) से 100 मीटर छोड़कर खनन कार्य किया जायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी

VII. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

X. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2400 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, पपीता, नींबू, सीताफल, ईमली, कटहल, जंगल जलेबी, कदम, कचनार आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

XII. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

XIII. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

XIV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

XV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

XVII. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

- ग्राम करहिया के शासकीय प्राथमिक स्कूल में एक शेड (10x20) का निर्माण किया जाये एवं उसमें लाईट की उचित व्यवस्था की जाये।
- ग्राम करहिया में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xx. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xxi. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxii. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री शिवाशीष बनर्जी आत्मज श्री संजय बनर्जी, निवासी– शास्त्री कॉलोनी, व्यंकट वार्ड, जिला कटनी (म.प्र.)–483501 द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 8458 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1189 पार्ट, ग्राम करहिया, तहसील रीठी, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), कटनी के पत्र क्रं. 1823 दिनांक 21.06.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 20.06.2031 तक वैध रहेगी।

16. प्रकरण क्र. 8771/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री नितिन दुबे आत्मज श्री विजय दुबे, निवासी– 12/2, अग्रसेन चौराहा, इमामीगेट, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 9300 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 247, 248, ग्राम सोहागपुर, तहसील कोलार, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 529वी बैठक दिनांक 24.11.2021 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं **SEAC** की 529वीं बैठक दिनांक 24.11.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नाले (प्राकृतिक जल निकासी) से 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर साइट का सीमांकन किया जायेगा। उक्त सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

VI. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

IX. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2400 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, पपीता, नींबू, सीताफल, ईमली, कटहल, जंगल जलेबी, कदम, कचनार आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

XI. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

XII. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

XIII. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

XIV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

XVI. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम सोहागपुर के शासकीय हाई स्कूल में 02 कम्प्यूटर, 01 प्रिन्टर उपलब्ध कराये जायें।
- ग्राम सोहागपुर में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xx. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxi. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री नितिन दुबे आत्मज श्री विजय दुबे, निवासी– 12/2, अग्रसेन चौराहा, इमामीगेट, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 9300 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 247, 248, ग्राम सोहागपुर, तहसील कोलार, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), भोपाल के पत्र क्रं. 2068 दिनांक 14.07.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13.07.2031 तक वैध रहेगी।

17. प्रकरण क्र. 8781/2021 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स महामाया स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री आलोक सिंह, निवासी ग्राम नकवार, पोस्ट वीरादेई, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.)–486001 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 31,136 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 135पी, ग्राम नकवार, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 529वी बैठक दिनांक 24.11.2021 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 529वीं बैठक दिनांक 24.11.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी एवं माननीय एनजीटी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में **पक्की सड़क एवं मानव बसाहट** से 200 मीटर तथा **कच्ची सड़क** से 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर साइट का सीमांकन किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में (नॉन ब्लास्टिंग के लिए दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए 200 मीटर की दूरी तय है)। उक्त सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

V. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

IX. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

XII. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2430 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, सीसम, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, पपीता, नींबू, सीताफल, ईमली, कटहल आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

XIV. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

XV. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

XVI. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

XVII. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

xviii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

xix. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

xx. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

xxi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम नकवार के शासकीय प्राथमिक स्कूल में एक हैण्डपम्प स्थापित किया जाये एवं एवं उसके चारो ओर दीवार व रीचार्ज पिट बनाई जावे।
- ग्राम नकवार के शासकीय प्राथमिक स्कूल में बच्चों के लिये झूले, फिसल पट्टी आदि स्थापित किये जायें।
- ग्राम नकवार में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xxii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xxiii. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

xxiv. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स महामाया स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री आलोक सिंह, निवासी ग्राम नकवार, पोस्ट वीरादेई, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.)–486001 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 31,136 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 135पी, ग्राम नकवार, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रीवा के पत्र क्रं. 5142 दिनांक 17.08.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 16.08.2031 तक वैध रहेगी।

18. प्रकरण क्र. 6644/2019 : परियोजना प्रस्तावक श्री मनोहर लाल अंजाना आत्मज श्री गंगाराम अंजाना, निवासी– ग्राम केसुन्दा, तहसील छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ (राज.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 1.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 364, 311/2, ग्राम चैनपुरा, तहसील नीमच, जिला नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 529वी बैठक दिनांक 24.11.2021 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डाधिकारी, वनमण्डल नीमच के पत्र क्र. 3899 दिनांक 17.07.2019 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) नीमच द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्र. 488 दिनांक 04.07.2019 के माध्यम से 10 वर्ष के लिये सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।
3. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 05 किलो लीटर प्रतिदिन है (3.0 केएलडी धूल धमन + 1.0 केएलडी हरित पट्टी विकास/वृक्षारोपण + 1.0 केएलडी पीने/घरेलू कार्य व स्वच्छता हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जावेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य–** परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल **2000** पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया, पास के तालाब, शासकीय स्कूल बाउण्ड्री इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

5. **जनसुनवाई** – उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 29.01.2021 को खनिज स्थल, ग्राम चैनपुरा, तहसील नीमच, जिला नीमच में माननीय अपर कलेक्टर, नीमच की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 529वीं बैठक दिनांक 24.11.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जायेगा।

V. विशेषज्ञ प्राधिकृत संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

ix. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

x. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

xi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

xii. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

xiii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2000 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, पपीता, नींबू, सीताफल, ईमली, कटहल, चिरोल, जामुन, सु–बबूल आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

xiv. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

xv. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

xvi. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

xvii. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

xviii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

xix. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

xx. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

xxi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

- ग्राम चैनपुरा के शासकीय स्कूल में 02 सोलर लाईट स्थापित की जायें।
- ग्राम चैनपुरा के ग्राम पंचायत भवन में शौचालय का निर्माण किया जाये एवं ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाये।
- ग्राम चैनपुरा की सड़क की मरम्मत कराई जाये।
- ग्राम चैनपुरा में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xxii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xxiii. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxiv. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री मनोहर लाल अंजाना आत्मज श्री गंगाराम अंजाना, निवासी– ग्राम केसुन्दा, तहसील छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ (राज.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 1.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 364, 311/2, ग्राम चैनपुरा, तहसील नीमच, जिला नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), नीमच के आदेश क्रं. 488 दिनांक 04.07.2019 एवं पत्र क्र. 1165 दिनांक 07.09.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03.07.2029 तक वैध रहेगी।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

19. **प्रकरण क्र. 7259/2020 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मोदीराम रामलाल, पार्टनर श्री नीरज गुप्ता, निवासी– 22/5, कटघर, जिला इलाहबाद (उ.प्र.) द्वारा सिलिका रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), एरिया 12.096 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,227,258 (कोटवा खास), 1,2 (हडाई), 1,2,3,4,5,6,425,435,436 (हरदौली), ग्राम कोटवा खास हड़हाई हरदौली डभौरा, तहसील जावा, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 529वी बैठक दिनांक 24.11.2021 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डाधिकारी, वनमण्डल रीवा के पत्र क्र. 7589 दिनांक 13.08.2019 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रीवा द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्र. 4883 दिनांक 14.08.2018 के माध्यम से उक्त लीज दिनांक 31.03.2025 तक स्वीकृत की गई है।
3. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 15 किलो लीटर प्रतिदिन है (12 केएलडी धूल धमन + 2.0 केएलडी हरित पट्टी विकास/वृक्षारोपण + 1.0 केएलडी पीने/घरेलू कार्य व स्वच्छता हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जावेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य–** परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल **5800** पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया, पास के तालाब, शासकीय स्कूल बाउण्ड्री इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** – उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 25.02.2021 को खनिज स्थल, ग्राम हरदौली, तहसील जवा, जिला रीवा में माननीय अपर कलेक्टर, रीवा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 529वीं बैठक दिनांक 24.11.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर तक जीआई – शीट) की स्थापना की जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नदी किनारे (River Bank) से 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर साइट का सीमांकन किया जायेगा। उक्त सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

VI. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

IX. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम दो वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 5800 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, पपीता, नींबू, सीताफल, ईमली, कटहल, चिरोल, जामुन, सु–बबूल आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

XI. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

XII. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

xiii. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

xiv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

xv. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

xvi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

xvii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम हरदौली के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 02 शौचालय का निर्माण किया जाये और पानी की उचित व्यवस्था की जाये।
- ग्राम कोटवा खास, हड़हाई, हरदौली, डभौरा के शासकीय मिडिल स्कूल में सोलर लाईट सोलर सिस्टम के साथ स्थापित की जायें।
- ग्राम कोटवा खास, हड़हाई, हरदौली, डभौरा में पशुओं के चारागाह हेतु शासकीय भूमि को विकसित किया जाये।
- ग्राम चैनपुरा में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xviii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

xix. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xx. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मोदीराम रामलाल, पार्टनर श्री नीरज गुप्ता, निवासी– 22/5, कटघर, जिला इलाहबाद (उ.प्र.) द्वारा सिलिका रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), एरिया 12.096 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,227,258 (कोटवा खास), 1,2 (हडाई), 1,2,3,4,5,6,425,435,436 (हरदौली), ग्राम कोटवा खास हड़हाई हरदौली डभौरा, तहसील जावा, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), रीवा के आदेश क्रं. 4883 दिनांक 14.08.2018 के से उक्त लीज दिनांक 31.03.2025 तक स्वीकृत की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31. 03.2025 तक वैध रहेगी।

20. प्रकरण क्र. 5808/2018 : परियोजना प्रस्तावक श्री विद्या प्रकाश श्रीवास्तव, निवासी– इंदिरा नगर जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 10.433 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,27,160 टन प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 34, ग्राम डोंगरिहा, तहसील सिमरिया, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 529वी बैठक दिनांक 24.11.2021 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डाधिकारी, वनमण्डल नीमच के पत्र क्र. 10402 दिनांक 16.10.2018 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) नीमच द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्र. 488 दिनांक 04.07.2019 के माध्यम से 01 वर्ष के लिये सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।
3. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 12 किलो लीटर प्रतिदिन है (5.0 केएलडी धूल धमन + 4.0 केएलडी हरित पट्टी विकास/वृक्षारोपण + 3.0 केएलडी पीने/घरेलू कार्य व स्वच्छता हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जावेगी।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

4. **वृक्षारोपण कार्य–** परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 1200 पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया, पास के तालाब, शासकीय स्कूल बाउण्ड्री, एवं चारागाह जमीन इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** – उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 24.06.2021 को खनिज स्थल, ग्राम डोगरिहा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा में माननीय अपर कलेक्टर, रीवा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 529वीं बैठक दिनांक 24.11.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर तक जीआई – शीट) की स्थापना की जाये।
III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी।
IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी एवं माननीय एनजीटी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में मानव बसाहट से 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर साइट का सीमांकन किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में (नॉन ब्लास्टिंग के लिए दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए 200 मीटर की दूरी तय है)। उक्त सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
V. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

viii. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

x. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

xi. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

xii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 12000 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, पपीता, नींबू, सीताफल, ईमली, कटहल, चिरोल, जामुन, सु–बबूल आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

xiii. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

xiv. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

xv. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

xvi. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

xvii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

xviii. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

xix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

xx. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xxi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xxii. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxiii. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री विद्या प्रकाश श्रीवास्तव, निवासी– इंदिरा नगर जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 10.433 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,27,160 टन प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 34, ग्राम डोंगरिहा, तहसील सिमरिया, जिला रीवा(म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), रीवा का लीज अवधि के संबंध में पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जायेगी। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष